



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सक्यूलर/09/712


दिनांक 7/5/13

समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान

परिपत्र संख्या 28

माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश क्रमांक एफ13()अन्त्योदय/सान्याअवि/2013/337, दिनांक 02.04.2013 में यह आदेश जारी किये गये हैं कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा 2013-14 "बीपीएल परिवारों को राज्य सरकार द्वारा देय सभी सुविधाएँ प्रदेश के अन्त्योदय परिवारों को भी उपलब्ध करवाई जायेगी।" राज्य योजना मद में क्रियान्वित की जा रही सभी विभागों की योजनाओं का लाभ जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवार पात्र हैं के अलावा अन्त्योदय परिवार भी पात्र होंगे।


अतः मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना एवं बीपीएल परिवारों की महिलाओं के प्रथम राजकीय संस्थागत प्रसव पर 5 लीटर सरस देशी घी उपहार स्वरूप योजना के तहत अन्त्योदय परिवारों को भी वे समस्त लाभ प्रदान किये जावेंगे जो कि वर्तमान में बीपीएल परिवारों को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।


प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीया संसदीय सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
15. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
16. आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिविल लाईन्स फाटक के पास, जयपुर।
17. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
18. निदेशक, (बजट) वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
20. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम/एमएमजेआरके, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
21. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
22. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
23. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
24. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
25. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अपने जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को परिपत्र की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
26. प्रभारी सर्वर रूम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करवाये।
- ✓ 27. सलाहकार (आईटी) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करवाये।


 शासन सचिव
 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 एवं
 मिशन निदेशक, एनआरएचएम